

मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 2-1/2001/अ-ग्यारह भोपाल, दिनांक /05/2015
प्रति,

उद्योग आयुक्त,
मध्यप्रदेश।

विषय:-मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस संबंधी कार्यशाला दिनांक 4 मार्च, 2015 को की गई घोषणाओं का क्रियान्वयन।

संदर्भ:-आपका पत्रक्रमांक 35/एमएसएमई/13/2015/1647, दिनांक 23.04.2015 एवं विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 2 (2)-1-2001-अ-ग्यारह, दिनांक 06 दिसम्बर, 2001

---0---

निर्देशानुसार आपके उक्त विषयक संदर्भित पत्र दिनांक 23.04.2015 से प्रेषित प्रस्ताव अनुसार भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 (1923 का सं. 5) की धारा 34 की उपधारा (3) के अंतर्गत विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 2 (2)-1-2001-अ-ग्यारह, दिनांक 06 दिसम्बर, 2001 के संबंध में निम्नानुसार स्पष्टीकरण संसूचित किया जाता है :-

“बायलर मेन्टेनेन्स सेवा प्रदाता के इंजीनियर यदि मध्यप्रदेश शासन वाणिज्य और उद्योग विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 2 (2)-1-2001-अ-ग्यारह, दिनांक 06.12.2001 के नियम (1) (ख) के अनुसार योग्यता रखते हों तो उनके द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी मान्य किया जावेगा।”

(अनिल भारतीय)

उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग.

भोपाल, दिनांक 11 /05/2015

पृ0क0 : एफ 2-1/2001/अ-ग्यारह

प्रतिलिपि :-

- 1/ संचालक, वॉष यंत्र, 60 बक्की बाग, मध्यप्रदेश इन्दौर।
 - 2/ अपर/संयुक्त संचालक, परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय, मध्यप्रदेश (समस्त)।
 - 3/ महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, मध्यप्रदेश (समस्त)।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग.

27